न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 06/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

चौखाराम उर्फ कालू

बनाम

तहसीलदार एवं उपपंजीयक धनाऊ वगैरा

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री वीरमाराम**

विप्रार्थीगण :– **एकतरफा**

निर्णय

दिनांक :– 27.05.2024

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का पैतृक एवं खातेदारी का खेत तहसील धनाऊ, पटवार बिसारणिया के मौजा बिसारणिया में खसरा सं. 829 रकबा 27.8909 हैक्टयर एवं ग्राम तरड़ों का तला (नवातला राठौड़ान) में खसरा सं. 887 रकबा 03.9821, खसरा सं. 1148/886 रकबा 05.1071 हैक्टयर का आया हुआ है। उपरोक्त खेतों में प्रार्थी का नाम चोखाराम पुत्र विरधाराम के स्थान पर कालू पुत्र विरधाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम चोखाराम उर्फ कालू पुत्र विरधाराम है। प्रार्थी के विभिन्न दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम चोखाराम पुत्र विरधाराम दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम चोखाराम पुत्र विरधाराम ही है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त खातेदारी भूमि स्थित पटवार बिसारणिया के मौजा बिसारणिया के खसरा सं. 829 रकबा 27.8909 हैक्टयर एवं ग्राम तरड़ों का तला (नवातला राठौड़ान) के खसरा सं. 887 रकबा 03.9821, खसरा सं. 1148/886 रकबा 05.1071 हैक्टयर में

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:32:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अंकित अपना गलत नाम कालू पुत्र विरधाराम से सही नाम चोखाराम पुत्र विरधाराम दुरस्त करवाना चाहता है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के नाम दुरस्ती की रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया । विप्रार्थीगण के रजि. नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवही अमल में लाई गई। तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का दर्ज नाम कालू पुत्र विरधा के स्थान पर चौखाराम पुत्र विरधाराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ, पटवार बिसारणिया के मौजा बिसारणिया के खसरा सं. 829 रकबा 27.8909 हैक्टयर एवं ग्राम तरड़ों का तला (नवातला राठौड़ान) के खसरा सं. 887 रकबा 03.9821, खसरा सं. 1148/886 रकबा 05.1071 हैक्टयर में दर्ज प्रार्थी का नाम कालू पुत्र विरधा के स्थान पर चौखाराम पुत्र विरधाराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:32:41 IST
Reason: SelfAttested